(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 89 / 2024 **जीसीएमएस नम्बर :— 2024 / 177**

1. महावीर पुत्र हरस्वरूप जाति जाट निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

..................प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश पुत्र बन्ने सिंह जाति जाट निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. राकेश पुत्र बन्ने सिंह जाति जाट निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

...................अप्रार्थीगण

दावा बाबत— धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 नक्शा व रिकार्ड दुरूस्ति

—ःनिर्णयः— **दिनांकः—** 19/6/24

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

1. यह कि आवेदक व अना0 संख्या 1 व 2 खाता संख्या 31 के ख0 न0 117 / 2 के संयुक्त खातेदार संवत 2067 से 2070 में दर्ज है जिन्होने आपसी रजामन्दी से अपना खाता मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजीत करवा लिया। बाद विभाजन ख0 न0 117 / 2 / 1 जो ख0 न0 117 / 2 का पूर्वी और का हिस्सा है वादी के हिस्से में आया तथा ख0 न0 117 / 2 / 2 ख0 न0 117 / 2 का पश्चिमी और का भाग है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में आया बाद विभाजन उक्त विभाजन राजस्व रिकार्ड में भी अंकन हो गया था।
2. यह कि संवत 2067 से 2070 में बने चौसाला जमाबन्दी के पश्चात बनी जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 में ख0 न0 117 / 2 / 1 व 117 / 2 / 2 को नया ख0 न0 125 / 117 व 126 / 117 दर्ज करते हुऐ राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जिसमें सहवन से या गलती से ख0 न0 125 / 117 जो विभाजन में दर्ज नक्शे व गत जमाबन्दी अनुसार अना0 संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था उसे आवेदक की खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा ख0 न0 126 / 117 जो विभाजन के अनुसार आवेदक की खातेदारी में दर्ज करना था उसे अना0 संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज कर दिया। जिसे आवेदक दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः—

(क). कि वाके ग्राम रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि ख0 न0 125 / 117 जो आवेदक की खातेदारी में दर्ज किया है वो दुरूस्त करते हुए अनावेदक संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः– 89 / 2024
महावीर बनाम मुकेश आदि
निर्णय दिनांकः– 19/6/24

(ख). कि वाके ग्राम रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि ख0 न0 126 / 117 जो अनावेदक संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज किया है वो दुरूस्त करते हुए आवेदक की खातेदारी में दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्री अनुप सिंह एडवोकेट द्वारा वकलातनामा व जबाव पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एवं तहसीलदार बुहाना से 136 एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 923 दिनांक 29.04.2024 के द्वारा 136 एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली हुई रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन किया गया प्रार्थी ने आपसी रजामन्दी अनुसार दुरूस्ती हेतु निवेदन किया सभी प्रभावित पक्षकारों की तरफ से वकील प्रार्थी उपस्थित है किसी ने कोई ऐतराज पेश नही किया है।

प्रार्थना पत्र वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमांबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 39, 11 व जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 नक्शा ट्रेस नामन्तरण संख्या 178 किश्तवार पेश किए गए। चूंकि सेग्रीगेशन के कारण हुई है एवंम 06.02.2023 के दस्तावेज जिसमें प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में सहमति से बंटवारा हुआ उसके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ख0 न0 125 / 117 अनावेदकगण सं0 1 व 2 का हिस्सा बराबर के तथा ख0 न0 126 / 117 आवेदक महावीर पुत्र हरस्वरूप के शुद्व करने के आदेश दिये जाते है।

–::आदेश::–

"न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि ख0 न0 125 / 117 जो आवेदक की खातेदारी में दर्ज किया है वो दुरूस्त करते हुए अनावेदक संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज किया जाता है, व वाके ग्राम रायली तहसील बुहाना में स्थित भूमि ख0 न0 126 / 117 जो आवेदक महावीर की खातेदारी में दर्ज किया है वो दुरूस्त करते हुए आवेदक की खातेदारी में दर्ज किया जाता है। नक्शा दुरस्त कर तदानुसार नक्शा व राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा दुरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 923 दिनांक 29.04.2024 तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श "ब" के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न. / रकबे / हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19/6/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)